

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान,

डब्ल्यू-6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

क्रमांक : एफ 5(12-1)प्राशिमं./सामान्य/2010-11/

प्रधानाचार्य,

समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
द्वारा ई मेल।

दिनांक :

विषय : परीक्षा कार्य के लिये पारिश्रमिक भुगतान की अधिकतम सीमा में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ने पत्रांक एफ 13 (24) त.शि./78 पार्ट दिनांक 16-08-12 द्वारा परीक्षा कार्य के लिये पारिश्रमिक भुगतान की अधिकतम सीमा रूपये 2700/- से रूपये 10,000/- तक बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की है। यह अनुमति वित्त (व्यय-1) विभाग, के आई. डी. कमांक 151200849 दिनांक 09.08.2012 के तहत प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की गई है।

उक्त अधिकतम सीमा नवम्बर 2011 की परीक्षाओं से लागू होगी।

—sd—
संयुक्त निदेशक एवं सचिव

क्रमांक : एफ 5(12-1)प्राशिमं./सामान्य/2010-11/ 5234
प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 2

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 13 (24) त.शि./78 पार्ट दिनांक 16-08-12 के क्रम में।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक, ई-2 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
5. संयुक्त निदेशक (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
6. संयुक्त निदेशक (सीडीसी) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
7. विभागाध्यक्ष (गोपनीय), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
8. कार्यालयाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
9. प्रभारी गोपनीय शाखा, परीक्षा शाखा, पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठ, स्थापना शाखा, विधि शाखा, कम्प्यूटर शाखा, लेखा शाखा, खजांची, शीघ्र लिपिक (सचिव महोदय), पुस्तकालय प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर।
10. नोडल अधिकारी (IT) को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करवाने हेतु।
11. श्री पुखराज पालीवाल, प्राशिमं. जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित को ई मेल द्वारा प्रेषित करें।

—sd—
संयुक्त निदेशक एवं सचिव